

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 152/2024 (2024/372) अनवान जीवराज बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-2-26	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की सह खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87/1 ग्राम नन्दवान खसरा नम्बर 66, 66/1 ग्राम नन्दवान एवं खसरा नम्बर 164, 165, 166, 172 ग्राम नन्दवान खसरा नम्बर 235, 236 ग्राम नन्दवान एवं खसरा नम्बर 123, 130, 131, 132, 139, 193 ग्राम सेवाला नगर पटवार हल्का काकांणी तहसील लूणी में आई हुई है। उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी में एवं अन्य दस्तावेजों में भिन्ता होने के कारण अनेश कठिनाईया उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी का नाम गणेशराम एवं गुणेशराम के स्थान पर गणेशराम सिघंड किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भूअ./2025/1404 दिनांक 08.05.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल मिसल किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। तथा पत्रावली के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनआधार इत्यादि में गणेशराम सींगड दर्ज है। इस वजह से प्रार्थी का नाम दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं। कि ग्राम खसरा नम्बर 87/1 ग्राम नन्दवान खसरा नम्बर 66, 66/1 ग्राम नन्दवान एवं खसरा नम्बर 164, 165, 166, 172 ग्राम नन्दवान खसरा नम्बर 235, 236 ग्राम नन्दवान एवं खसरा नम्बर 123, 130, 131, 132, 139, 193 ग्राम सेवाला नगर पटवार हल्का काकांणी तहसील लूणी प्रार्थी का नाम गणेशराम एवं गुणेशराम के स्थान पर गणेशराम सींगड राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी